न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 453/2024

अनवान : –

1. मंहगा सिंह पुत्र बुटासिंह जाति बाजीगर निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. सुखदेव सिंह पुत्र बुटासिंह जाति बाजीगर निवासी सोनड़ी तहसील नोहर हाल भडोलियावाली तहसील रानिया जिला सिरसा।
2. सतपाल कौर पुत्री बुटासिंह जाति बाजीगर निवासी सोनड़ी हाल रगड़ीखेड़ा तहसील व जिला सिरसा।
3. छिन्द्रकौर पुत्री बुटासिंह जाति बाजीगर निवासी सोनड़ी हाल जसाना तहसील नोहर।
4. गुरदेवकौर पुत्री बुटासिंह जाति बाजीगर निवासी सोनड़ी हाल साहनपाल तहसील रानिया सिरसा।
5. परमजीतकौर पुत्री जसपाल कौर कौर पुत्री बुटासिंह जाति बाजीगर निवासी सोनड़ी हाल सुरेवाला श्रीमुक्तसर साहिब पंजाब।
6. मनजीत कौर पुत्री जसपाल कौर पुत्री बुटासिंह जाति बाजीगर निवासी सोनड़ी हाल तलमण्डी मलिक जिला पटियाला पंजाब।
7. खुशप्रीत कौर पुत्री जसपाल कौर पुत्री बुटासिंह जाति बाजीगर निवासी सोनड़ी हाल ओलख श्रीमुक्तसर साहिब रामनगर पंजाब।
8. सन्दीपसिंह पुत्र जसपाल कौर पुत्री बुटासिंह जाति जटसिख निवासी सोनड़ी हाल रगड़ीखेड़ा तहसील व जिला सिरसा।
9. मनदीपसिंह पुत्र जसपाल कौर पुत्री बुटासिंह जाति जटसिख निवासी सोनड़ी हाल रगड़ीखेड़ा तहसील व जिला सिरसा।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 25/6/2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 283/262 की कुल 17.5910 हैक्ट भूमि में से 2915/17591 हिस्सा भूमि बुटासिंह पुत्र दुलासिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बुटासिंह पुत्र दुलासिंह के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है बुटासिंह पुत्र दुलासिंह का स्वर्गवास हो चुका है तथा बुटासिंह पुत्र दुलासिंह की एक पुत्री जसपालकौर का भी स्वर्गवास हो चुका है। बुटासिंह पुत्र दुलासिंह के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 9 जो की वादी के बहिन/भांजे है जो की उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है का परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 9 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 10 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण बुटासिंह, जसपाल कौर, वारिसान प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 219/43 के खसरा नं. 175/1 की कुल तादादी 6.9050 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादी की माता मृतका गोरा पत्नी बीरूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूरी पत्नी रूघाराम के नाम दर्ज है जो की वादी की माता है भूरी पत्नी रूघाराम का स्वर्गवास हो चुका है। भूरी पत्नी रूघाराम के के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 3, 4 ता 12 उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है का परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 283/262 की कुल 17.5910 हैक्ट भूमि में से 2915/17591 हिस्सा भूमि बुटासिंह पुत्र दुलासिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादी का कथन है कि बुटासिंह पुत्र दुलासिंह के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है बुटासिंह पुत्र दुलासिंह का स्वर्गवास हो चुका है तथा बुटासिंह पुत्र दुलासिंह की एक पुत्री जसपालकौर का भी स्वर्गवास हो चुका है। बुटासिंह पुत्र दुलासिंह के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 9 जो की वादी के बहिन/भांजे है जो की उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है का परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार कार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक बुटासिंह के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 283/262 की कुल 17.5910 हैक्ट भूमि में से 2915/17591 हिस्सा भूमि बुटासिंह पुत्र दुलासिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक बुटासिंह पुत्र दुलासिंह का नाम कलमजन किया जाकर 1.265 हैक्ट यानि 5 बीघा भूमि का वादी को एवं शेष 1.65 हैक्ट यानि 6 बिघा 10–1/2 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25/6/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 453/2024

अनवान : –

1. मंहगा सिंह पुत्र बुटासिंह जाति बाजीगर निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. सुखदेव सिंह पुत्र बुटासिंह जाति बाजीगर निवासी सोनड़ी तहसील नोहर हाल भडोलियावाली तहसील रानिया जिला सिरसा।
2. सतपाल कौर पुत्री बुटासिंह जाति बाजीगर निवासी सोनड़ी हाल रगड़ीखेड़ा तहसील व जिला सिरसा।
3. छिन्द्रकौर पुत्री बुटासिंह जाति बाजीगर निवासी सोनड़ी हाल जसाना तहसील नोहर।
4. गुरदेवकौर पुत्री बुटासिंह जाति बाजीगर निवासी सोनड़ी हाल साहनपाल तहसील रानिया सिरसा।
5. परमजीतकौर पुत्री जसपाल कौर कौर पुत्री बुटासिंह जाति बाजीगर निवासी सोनड़ी हाल सुरेवाला श्रीमुक्तसर साहिब पंजाब।
6. मनजीत कौर पुत्री जसपाल कौर पुत्री बुटासिंह जाति बाजीगर निवासी सोनड़ी हाल तलमण्डी मलिक जिला पटियाला पंजाब।
7. खुशप्रीत कौर पुत्री जसपाल कौर पुत्री बुटासिंह जाति बाजीगर निवासी सोनड़ी हाल ओलख श्रीमुक्तसर साहिब रामनगर पंजाब।
8. सन्दीपसिंह पुत्र जसपाल कौर पुत्री बुटासिंह जाति जटसिख निवासी सोनड़ी हाल रगड़ीखेड़ा तहसील व जिला सिरसा।
9. मनदीपसिंह पुत्र जसपाल कौर पुत्री बुटासिंह जाति जटसिख निवासी सोनड़ी हाल रगड़ीखेड़ा तहसील व जिला सिरसा।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 453 सन 2024 निर्णय दिनांक 25/6/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री राजपाल झोरड़ एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 283/262 की कुल 17.5910 हैक्ट भूमि में से 2915/17591 हिस्सा भूमि बुटासिंह पुत्र दुलासिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक बुटासिंह पुत्र दुलासिंह का नाम कलमजन किया जाकर 1.265 हैक्ट यानि 5 बीघा भूमि का वादी को एवं शेष 1.65 हैक्ट यानि 6 बिघा 10–1/2 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीया नक्शा तरमीम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.6.24.... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर